जेठमल्ल भोजराज

बनाम

बिहार राज्य और कुछ अन्य

(Jethmull Bhojraj

Vs.

State of Bihar and Others)

(25 जनवरी, 1972)

(न्या० के० एस० हेगडे, पी० जगनमोहन रेड्डी और डी० जी० पालेकर)

भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का अधिनियम 1)—धारा 9(1), 17(1) और 48(1)—किसी भूमि के अर्जन के लिए धारा 9 के अधीन सूचना जारी करने के पश्चात् यदि धारा 17(1) के अधीन कब्जा लेने का आदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया है तो वह भूमि सरकार में निहित नहीं होगी और सरकार को धारा 48(1) के अधीन अर्जन से प्रत्याहृत (विदड्रा) करने का अधिकार होगा।

धारा 17(1)—इसमें प्रयुक्त पद 'जब कभी समुचित सरकार ऐसा निदेश दे' कब्जा लेने की कार्यवाही पर बल देता है न कि आत्ययिकता की स्थिति पर।

इस मामले में सम्पृक्त भूमियां दो पृथक् अधिसूचनाओं के अधीन 1959 में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 अधीन अर्जन के लिए अधिसूचित की गई थीं। ये भूमियां तलैया और देबीपुर गांव में से स्थित हैं। 11 जून, 1948 को बिहार प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट, 1947 की धारा 14 और 21 के अधीन वे भूमियां अधिसूचित की गईं थीं। इसके पश्चात् इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा 29 के अधीन 1953 और 1954 में वे पुनः अधिसूचित की गईं। बाद में सरकार ने यह अनुभव किया कि उन भूमियों के साथ लगे हुए सरकारी वन में भूमियों को सम्मिलित करने के लिए उन्हें अर्जित करना आवश्यक होगा। परिणामस्वरूप वे अर्जन के लिए अधिसूचित की गईं। किन्तु प्रश्नगत भूमियों का परीक्षात्मक (टेन्टेटिव) रूप से मूल्यांकन किए जाने के पश्चात्, सरकार ने यह सोचा कि अर्जन के लिए अधिसूचित सम्पूर्ण क्षेत्र को अर्जित करना उचित नहीं होगा। इसलिए वह अर्जन के लिए अधिसूचित भूमियों के बहुत बड़े हिस्से को अर्जित करने से प्रत्याहृत हो गई।

परिणामस्वरूप भूमि अर्जन अधिकारी ने पहले जिन भूमियों के प्रतिकर की संगणना कर ली थी, उन भूमियों की बाबत उसने प्रतिकर अपवर्जित कर दिया। इस अपवर्जन से अपीलार्थी (दोनों अपीलों में एक ही अपीलार्थी) व्यथित हुआ और उसने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पटना उच्च न्यायालय को समावेदित किया और उस न्यायालय से यह प्रार्थना की कि वह उन भूमियों के बारे में भी भूमि अर्जन अधिकारी

को प्रतिकर अवधारित करने का निदेश दे । उच्च न्यायालय ने उन रिट पिटीशनों को खारिज कर दिया । अत: ये अपीलें की गई हैं ।

अभिनिर्धारित—कलक्टर प्रश्नगत भूमि को तब तक कब्जे में नहीं ले सकता जब तक कि सरकार ऐसा करने के लिए उसे धारा 17(1) के अधीन निदेश न दे । सरकार उसे ऐसा करने का निदेश केवल आत्ययिकता की दशाओं में ही दे सकती है । जब सरकार कलक्टर को कब्जा लेने का निदेश दे तब भी वह ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि धारा 9(1) के अधीन सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन समाप्त न हो जाएं [पैरा 12]

धारा 17(1) स्पष्ट और असंदिग्ध है । "जब कभी समुचित सरकार ऐसा निदेश दे" पद में जो उस धारा में आया है, कब्जा लेने के प्रति निर्देश है और उसमें आत्ययिकता की घोषणा के लिए निर्देश किए जाने की बात नहीं है । आत्ययिकता की दशा में भी, उचित कारणों से सरकार तत्काल कब्जा लेना जरूरी न समझे । न तो धारा 17(1) की भाषा से और न लोक हित की दृष्टि से ही इस धारा का अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल द्वारा किया गया अर्थान्वयन न्यायसंगत है । (पैरा 15)

प्रभेदित निर्णय

[1971] 1 एस० सी० आर० 413 :
हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल बनाम **अविनाश शर्मा** (Lt. Governor of Himachal Pradesh *Vs.* Avinash Sharma)

सिविल अपीली अधिकारिता : 1967 की **सिविल अपील संख्या** 379 **और** 741 ।

1966 के सिविल रिट अधिकारिता मामले संख्या 434 और 435 में पटना उच्च न्यायालय के तारीख 14 अक्टूबर, 1966 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें ।

अपीलार्थी की ओर से (1967 की सिविल अपील संख्या 741 में)	सर्वश्री आर० के० गर्ग एस० सी० अग्रवाल और डी० पी० सिंह
अपीलार्थी की ओर से (1967 की सिविल अपील संख्या 379 में)	सर्वश्री ए० के० सेन आर० के० गर्ग, एस० सी० अग्रवाल और डी० पी० सिंह
प्रत्यर्थियों की ओर से (दोनों अपीलों में)	भारत के महान्यायवादी श्री नीरेन डे और श्री डी० गोबर्धन

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति के० एस० हेगडे ने दिया ।

न्यायाधिपति हेगडे—

प्रमाणपत्र लेकर की गई इन अपीलों में विनिश्चय के लिए उद्‌भूत होने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या इन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए बिहार सरकार अपर भूमि अर्जन अधिकारी, हजारीबाग के समक्ष 1959-60 के अर्जन मामले संख्या 3 और 4 के अधीन कुछ भूमियों के अर्जन करने से प्रत्याहृत को लिए सक्षम थी ।

1972(1) eILR(PAT) SC 1

2. इन मामलों में सम्पृक्त भूमियां दो पृथक् अधिसूचनाओं के अधीन 1959 में भूमि अर्जन अधिनियम (जिसे इसमें आगे अधिनियम कहा गया है) 1894 की धारा 4 के अधीन अर्जन के लिए अधिसूचित की गई थीं। करीब इसी समय सरकार ने अधिनियम की धारा 17(4) के अधीन कार्यवाही की और धारा 5-क के अधीन की कार्यवाहियां समाप्त कर दीं। इसके साथ-साथ ही धारा 6 के अधीन भी अधिसूचना जारी की गई। इसके पश्चात् धारा 9 और 11 के अधीन कार्यवाहियां की गई। जब भूमि अर्जन अधिकारी के समक्ष अर्जन की कार्यवाहियां लम्बित थीं, तब सरकार ने धारा 4 और 6 के अधीन पहले अधिसूचित की गई कुछ भूमियों का अर्जन प्रत्याहृत कर दिया। परिणामस्वरूप भूमि अर्जन अधिकारी ने पहले जिन भूमियों के प्रतिकर की संगणना कर ली थी, उन भूमियों की बाबत उसने प्रतिकर अपवर्जित कर दिया। इस अपवर्जन से अपीलार्थी (दोनों अपीलों में एक ही अपीलार्थी) व्यथित हुआ और उसने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पटना उच्च न्यायालय को समावेदित किया और उस न्यायालय से यह प्रार्थना की कि वह उन भूमियों के बारे में भी भूमि अर्जन अधिकारी को प्रतिकर अवधारित करने का निदेश दे। उच्च न्यायालय ने उन रिट पिटीशनों को खारिज कर दिया। अतः ये अपीलें की गई हैं।

3. प्रश्नगत भूमियां तलैया और देवीपुर गांव में स्थित हैं। 11 जून, 1948 को बिहार प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट, 1947 की धारा 14 और 21 के अधीन वे भूमियां अधिसूचित की गई थीं। इसके पश्चात् इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा 29 के अधीन 1953 और 1954 में वे पुनः अधिसूचित की गई। बाद में सरकार ने यह अनुभव किया कि उन भूमियों के साथ लगे हुए सरकारी वन में सम्मिलित करने के लिए उन्हें अर्जित करना आवश्यक होगा। परिणामस्वरूप वे अर्जन के लिए अधिसूचित की गई। किन्तु प्रश्नगत भूमियों का परीक्षात्मक रूप से मूल्यांकन किए जाने के पश्चात्, सरकार ने यह सोचा कि अर्जन के लिए अधिसूचित सम्पूर्ण क्षेत्र को अर्जित करना उचित नहीं होगा। इसलिए उसने अर्जन के लिए अधिसूचित भूमियों के बहुत बड़े हिस्से को अर्जित करने से प्रत्याहृत कर दिया। संक्षेप में ये ही तात्त्विक तथ्य हैं।

4. अपीलार्थी का अभिकथन यह है कि प्रश्नगत भूमियों के इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा 29 के अधीन अधिसूचित किए जाने के पश्चात् वन विभाग ने उन भूमियों पर विधि-विरुद्ध रीति से कब्जा कर लिया था और उस पर अपना कब्जा बनाए रखा और इसलिए जब धारा 6 के अधीन अधिसूचनाएं जारी की गईं, तब सरकार उन भूमियों की स्वामी बन गई और इसके पश्चात्, धारा 6 के अधीन अधिसूचित भूमियों में से किसी को भी अर्जन करने से प्रत्याहृत करने के लिए वह सक्षम नहीं थी। अनुकल्पतः यह दलील दी कि सरकार उस समय उन भूमियों की पूर्ण स्वामी बन गई जब कलक्टर ने अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन एक लोक सूचना निकलवाई। अन्त में यह दलील दी गई कि वास्तव में प्रश्नगत भूमियों को कलक्टर ने अधिमियम की धारा 17 (1) के अधीन अपने कब्जे में कर लिया था और इसलिए वे भूमियां सरकार में निहित हो गईं।

5. बिहार सरकार ने उपरोक्त सभी अभिकथनों से इन्कार किया है। सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने प्रश्नगत भूमियों को 1954 में अपने कब्जे में ले लिया

1972(1) eILR(PAT) SC 1

था। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि उन भूमियों को धारा 17 (1) के अधीन कब्जे में ले लिया गया था। सरकार ने अपीलार्थी के इस अभिकथन से इन्कार किया था कि वह धारा 6 के अधीन अधिसूचनाएं जारी किए जाने पर या धारा 9 (1) के अधीन नोटिस जारी किए जाने पर प्रश्नगत भूमियों की स्वामी बन गई थी।

6. अपीलार्थी द्वारा दिए गए इस साक्ष्य से उच्च न्यायालय का इस बावत समाधान नहीं हुआ था कि सरकार ने प्रश्नगत भूमियों को 1954 में अपने कब्जे में ले लिया था। उसका विचार था कि यह तथ्य का एक विवादग्रस्त प्रश्न है और उसके समक्ष की सामग्री के आधार पर, उस प्रश्न का निश्चायक रूप से विनिश्चय करना सम्भव नहीं था और इसलिए उसने उस प्रश्न पर निर्णय नहीं दिया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की यह दलील नहीं मानी कि कब्जा धारा 17 (1) के अधीन लिया गया था। उसने अपीलार्थी की यह दलील भी नहीं मानी कि धारा 9 (1) के अधीन सूचनाओं के निकाले जाने के पश्चात् सरकार प्रश्नगत भूमियों की स्वामी बन गई थी। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष जो दलीलें दी गई थीं, वे ही दलीलें इस न्यायालय में दोहरायी गईं।

7. इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या सरकार ने प्रश्नगत भूमियों को 1954 में अपने कब्जे में लिया था, यह माना गया कि सरकार बिहार प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट, 1947 की धारा 14 और 21 के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं के अधीन या इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा 29 के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं के अधीन उन भूमियों का कब्जा लेने के लिए सक्षम नहीं थी। अपीलार्थी का पक्षकथन यह है कि सरकार ने सम्पत्तियों को विधिविरुद्ध रूप से अपने कब्जे में ले लिया था। इस दलील के समर्थन में प्रमुख रूप से खण्ड वन अधिकारी कोडर्मा डिवीजन द्वारा 1 अक्टूबर, 1958 को रेंज अधिकारी कोडर्मा को लिखे गए पत्र और साथ ही इसी अधिकारी द्वारा 24 जनवरी, 1959 को भूमि अर्जन अधिकारी को भेजे गए अधिग्रहण (उपाबन्ध II) का अवलम्बन किया गया है। बृज मोहन प्रसाद सम्पृक्त खण्ड वन अधिकारी थे। प्रश्नगत पत्र में उन्होंने लिखा—

> "उपर्युक्त गांवों में के वन कुछ समय से वन विभाग के कब्जे में हैं।"

अधिग्रहण में उसने पुन: यह उल्लेख किया था—

> "पहले भूमि इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा 29 (3) के अधीन अधिसूचित की गई थी और उसका सीमांकन किया गया था और कब्जा ले लिया गया था। बाद में यह मालूम हुआ कि प्रश्नगत भूमि रय्यतबाड़ी है, अत: उसे भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन अर्जित किया जाना जरूरी था।"

उस अधिग्रहण के पैरा 12 में उसने आगे बतलाया—

> "वह पहले से ही कब्जे में है और उसे शीघ्र ही औपचारिक रूप से सौंपा जाना है।"

8, इस अधिकारी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक शपथ-पत्र फाइल किया है। उसमें उसने बतलाया है कि उसने प्रश्नगत कथन इस गलत धारणावश किये थे कि सरकार ने इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा 29 के अधीन जारी की गई अधिसूचना की दृष्टि से प्रश्नगत भूमि पर कब्जा कर लिया है। उसके इस कथन को उसके द्वारा 11 अगस्त, 1959 को भूमि

1972(1) eILR(PAT) SC 1

अर्जन अधिकारी को लिखे गए पत्र से समर्थन मिलता है जिसमें उसने यह वर्णित किया है—

> "आपके उपर्युक्त पत्रों के प्रति निर्देश में मुझे यह कहना है कि देबीपुर वन, इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट के अधीन 8 दिसम्बर, 1953 को और तलैया वन 22 नवम्बर, 1954 को अधिसूचित किया गया था। इस प्रकार, कब्जे की तारीख क्रमशः 8 दिसम्बर, 1953 और 22 नवम्बर, 1954 है।"

9. यह सम्भव है कि इस अधिकारी को इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा 29 के अधीन की अधिसूचना के प्रभाव के सम्बन्ध में गलत धारणा रही हो। अपीलार्थी ने जिन अन्य दस्तावेजों का अवलम्बन किया है वे पूर्ण रूप से अनिश्चायक हैं। अतः उनके प्रति निर्देश करने की जरूरत नहीं है। हम उच्च न्यायालय से इस बात में सहमत हैं कि यह दर्शाने के लिए कोई सन्तोषजनक साक्ष्य नहीं है कि सरकार ने इन भूमियों का कब्जा 1953 या 1954 में लिया था। चूंकि पक्षकारों को इस प्रश्न पर साक्ष्य पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिला था, अतः इस प्रश्न को अन्तिम रूप से विनिश्चित करना हमारे लिए न्यायोचित नहीं होगा। हम इतना कहना ही पर्याप्त समझते हैं कि अभिलेख पर की सामग्री के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पिटीशन में उच्च न्यायालय का इस प्रश्न पर निर्णय न देना न्यायोचित है। यदि सरकार ने उन भूमियों का कब्जा अवैध रूप से ले लिया था तो अपीलार्थी को ऐसा अन्य उपचार जो उसे विधि के अधीन उपलब्ध हो, प्राप्त करने की छूट थी। यह प्रश्न कि क्या सरकार ने 1954 में उन भूमियों का अवैध रूप से कब्जा ले लिया था, जैसा कि हम नीचे विवेचन करेंगे, इन अपीलों के विनिश्चय के लिए पूर्ण रूप से विसंगत हैं।

10. अगला प्रश्न जो विनिश्चय के लिए उद्भूत होता है, यह है कि क्या अर्जन के लिए अधिसूचित भूमि का कब्जा, जैसी अपीलार्थी ने दलील दी है, धारा 17(1) के अन्तर्गत लिया गया था। सरकार अर्जन के लिए अधिसूचित भूमियों की स्वामी केवल तभी बनती है जब कलक्टर उन भूमियों का कब्जा या तो धारा 16 या धारा 17 (1) के अधीन लेता है। उन दोनों उपबन्धों में उपबन्धित है कि जब कलक्टर उन उपबन्धों के अधीन कब्जा लेता है तब अर्जन के लिए अधिसूचित भूमियां सब विल्लंगमों से मुक्तकृत सरकार में आत्यन्तिक रूप में निहित हो जाएंगी। जब तक कब्जा उन उपबन्धों में से किसी के अधीन नहीं लिया जाता है तब तक अर्जन के लिए अधिसूचित भूमियां सरकार में निहित नहीं होती हैं। अधिनियम की धारा 48 (1) में उपबन्धित है—

> "धारा 36 में जिस दशा के लिए उपबन्ध किया गया है उस दशा के सिवाय सरकार किसी ऐसी भूमि का जिसका कब्जा नहीं लिया गया है अर्जन करने से प्रत्याहृत हो जाने के लिए स्वतन्त्र होगी।"

11. हमारे वर्तमान प्रयोजन के लिए धारा 36 सुसंगत नहीं है। धारा 48 में निर्दिष्ट कब्जा आवश्यक रूप से ऐसा कब्जा है जो या तो धारा 16 या धारा 17 (1) के अधीन लिया गया है। धारा 17(1) में उपबन्धित है—

> "आत्ययिकता की दशाओं में जब कभी समुचित सरकार ऐसा निदेश दे तब यद्यपि ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, कलक्टर किसी ऐसी बंजर या

1972(1) eILR(PAT) SC 1

कृष्य भूमि पर, जिसकी लोक प्रयोजनों के लिए या किसी कम्पनी के लिए आवश्यकता है, कब्जा धारा 9 की उपधारा (1) में वर्णित सूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के अवसान पर कर सकेगा। ऐसा होने पर ऐसी भूमि सब विल्लंगमों से मुक्तकृत सरकार में आत्यंतिकतः निहित हो जाएगी।"

12. सामान्यतया अर्जन के लिए अधिसूचित किसी भूमि का कब्जा तब लिया जाता है, जब कलक्टर धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय दे देता है। इसके पहले कब्जा नहीं लिया जाता है। किन्तु धारा 17 (1) में इसके अपवाद का उपबन्ध किया गया है। आत्ययिकता की दशाओं में, यदि सरकार ऐसा निदेश दे तब यद्यपि धारा 11 के अधीन ऐसा कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, कलक्टर किसी भी बंजर या कृष्य भूमि पर कब्जा धारा 9 की उपधारा (1) में वर्णित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर कर सकेगा और ऐसा होने पर ऐसी भूमि सब विल्लंगमों से मुक्तकृत सरकार में आत्यन्तिकतः निहित हो जाएगी। इस उपबन्ध से यह स्पष्ट है कि कलक्टर प्रश्नगत भूमि को तब तक कब्जे में नहीं ले सकता जब तक कि सरकार ऐसा करने के लिए उसे निदेश न दे। सरकार उसे ऐसा करने का निदेश केवल आत्ययिकता की दशाओं में ही दे सकती है। जब सरकार कलक्टर को कब्जा लेने का निदेश दे तब भी वह ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि धारा 9 (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन समाप्त न हो जाएं। अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि सरकार ने कलक्टर को धारा 17(1) के अधीन कोई निदेश दिया था और न ही यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री है कि प्रश्नगत भूमियों का कलक्टर ने धारा 17(1) के अधीन कब्जा ले लिया था। यह सच है कि भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा रखे गए आदेश पत्रक में 17 अक्टूबर, 1959 को एक टिप्पण किया गया था—

> "श्री बी० पी० यादव, आर० ओ० के प्रतिनिधि को 16-11-59 को सम्बन्धित स्थल पर कब्जा दे दें। आर० ओ० को लिखे गए प्रारूप पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।"

किन्तु यह दर्शाने के लिए कुछ नहीं है कि इस आदेश का कार्यान्वयन किया गया था। प्रत्यर्थी के कथनानुसार इस आदेश को कार्यान्वित नहीं किया गया था।

13. **उपराज्यपाल हिमाचल प्रदेश बनाम अविनाश शर्मा** (1) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलम्ब लेते हुए अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल श्री आर० के० गर्ग ने यह दलील दी कि जब एक बार यह सिद्ध हो जाता है कि अर्जन के लिए अधिसूचित भूमि का कब्जा 1953 या 1954 में ले लिया गया था तब उनके मुवक्किल के लिए यह सिद्ध करना अनावश्यक है कि धारा 17 (1) के अधीन कब्जा लिया गया था। उनके कथनानुसार धारा 9 (1) के अधीन सूचनाओं के निकाले जाने के 15 दिन के अवसान के पश्चात्, प्रश्नगत भूमियां सरकार में निहित हो गईं। प्रश्नगत विनिश्चय से इस दलील को कोई समर्थन नहीं मिलता है। उस मामले में अर्जन की कार्यवाहियों के शुरू किए जाने के पहले सरकार ने न केवल सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया था किन्तु धारा 9(1) और 17(1)

---

(1) (1971) 1 एस० सी० आर० 413.

1972(1) eILR(PAT) SC 1

के अधीन समुचित कार्यवाहियां भी की गई थीं यद्यपि धारा 17 (1) के अधीन वास्तव में कब्जा नहीं लिया गया था। उन परिस्थितियों में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था—

> "प्रस्तुत मामले में राज्य सरकार ने धारा 17 (1) और (4) के अधीन एक अधिसूचना निकाली थी और कब्जा जो पहले ही ले लिया गया था, धारा 9 (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के अवसान के पश्चात् सरकार का कब्जा समझा जाएगा।"

14. प्रस्तुत मामले में, जैसा पहले उल्लेख किया गया है, न्यायालय के समक्ष यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं पेश की गई कि धारा 17 (1) के अधीन कार्यवाही की गई थी।

15. श्री गर्ग और श्री ए० के० सेन ने इसके पश्चात् यह दलील दी कि धारा 17(1) में आए "जब कभी भी समुचित सरकार ऐसा निदेश दे" पद आत्ययिकता के प्रति निर्देश है और इसका अर्जन के लिए अधिसूचित भूमियों को कब्जे में लेने के प्रति निर्देश नहीं है। उन्होंने आगे यह दलील दी कि जैसे ही सरकार ने धारा 17(4) के अधीन अधिसूचना निकाली वैसे ही आत्यायिकता का तथ्य सिद्ध हो गया और इसलिए धारा 9(1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान के पश्चात्, वे भूमियां जो पहले से ही सरकार के कब्जे में थी, सरकार में निहित हो गई। धारा 17(1) का यह अर्थान्वयन हमें स्वीकार्य नहीं है। हमारा मत है कि धारा 17 (1) स्पष्ट और असंदिग्ध है। "जब कभी समुचित सरकार ऐसा निदेश दे" पद में जो उस धारा में आया है, कब्जा लेने के प्रति निर्देश है और उसमें आत्ययिकता की घोषणा के लिए निर्देश किए जाने की बात नहीं है। आत्ययिकता की दशा में भी, उचित कारणों से सरकार तत्काल कब्जा लेना जरूरी न समझे। न तो धारा 17(1) की भाषा से और न लोक हित के दृष्टि से ही इस धारा का अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल द्वारा किया गया अर्थान्वयन न्यायसंगत है।

16. ऊपर उल्लिखित कारणों से ये अपीलें असफल होती हैं और खारिज की जाती हैं, किन्तु मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हम पक्षकारों को इन अपीलों में अपने-अपने खर्चे उठाने का निदेश देते हैं।

17. निर्णय समाप्त करने से पहले बिहार राज्य सरकार की ओर से महान्यायवादी द्वारा दिए गए इस आश्वासन को अभिलिखित करना जरूरी है कि दो भूमि अर्जन मामलों में इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा 29 के अधीन भूमियों के अधिसूचित किए जाने की तारीखों से अर्जन के लिए अधिसूचित भूमियों के विकास के लिए दिए गए उधारों पर बिहार सरकार अपीलार्थी से कोई ब्याज वसूल नहीं करेगी। इस आशय का एक ज्ञापन फाइल कर दिया गया है।

अपीलें खारिज कर दी गई।

म०/बि०